## Date : 16 फ़रवरी 2023

# बीबीसी परिसर में सर्वेक्षण

**संदर्भ-** हाल ही में आयकर विभाग ने दिल्ली व मुंबई के ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के परिसरों में स्थानीय मूल्य निर्धारण नियमों के साथ गैर अनुपालन और मुनाफे के डाटवर्जन का आरोप लगाते हुए सर्वेक्षण किया है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार बीबीसी पर हस्तानांतरण मूल्य नियमों का जानबूझकर अनुपालन न करने और मुनाफे का डायवर्जन करने का आरोप है। जिसका सर्वेक्षण, आईटी अधिनियम 133 द्वारा किया जा रहा है।

### आईटी अधिनियम 133

इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए मूल्यांकन अधिकारी, उपायुक्त(अपील), संयुक्त आयुक्त(अपील) –

- फर्म के भागीदारों व उनसे संबंधित शेयरों के नाम व पते की जानकारी
- संरक्षक, ट्रस्टी या एजेंट की जानकारी
- सभी व्यक्तियों के नाम व पते जिसे, उसने या एक्सचेंज ने हस्तानांतरण के संबंध में कोई राशि दी हो, यह राशि बिक्री, विनिमय या परिसंपत्ति के रूप में भी हो सकती है। इस तरह की सभी प्रप्तियों के विवरण के लिए समन आ सकता है।
- इसमें किसी बैंकिंग कंपनी के अधिकारी को भी शामिल किया जाता है। मूल्यांकन अधिकारी द्वारा व्यावसायिक फर्म के सत्यापित खातों व अन्य विवरणों की आयुक्त, संयुक्त आयुक्त जानकारी दी जाती है। जिसके लिए मूल्यांकन अधिकारी किसी भी तरह की उपयुक्त जाँच व कार्यवाही कर सकता है।

## आईटी सर्वेक्षण हेतु प्रावधान

- आईटी सर्वेक्षण, आईटी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत किया जाता है।
- आईटी विभाग को छिपी हुई जानकारी एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण करने की शक्ति देता है।
- 1964 में एक संशोधन के माध्यम से सर्वेक्षण के प्रावधान को अधिनियम में शामिल किया गया है।
- आईटी अधिनियम एक अधिकृत अधिकारी को खाते की पुस्तकों व अन्य दस्तावेजों या अन्य नकदी स्टॉक या अन्य मूल्यवान वस्तुओं को सत्यापित करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर व्यवसाय या पेशे या अन्य धर्मार्थ गतिविधि के किसी भी स्थान में प्रवेश करने की शक्ति देता है।
- दस्तावेजों की प्रति लेने जब्त करने या बनाए रखने का आधिकार प्राधिकरण को होता है।
- 15 दिनों से अधिक समय तक बनाए रखने के लिए प्रधान मुक्य आयुक्त, प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक या आयुक्त के साथ एक वरिष्ठ अदिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है।
- नकदी स्टॉक या दस्तावेजों को जब्त करने का अधिकार वित्त अधिनियम 2002 में दिया गया है।

## आईटी खोज

- आयकर अधिनियम 132 में खोज शब्द का प्रयोग किया गया है जो सर्वेक्षण शब्द से भिन्न है।
- खोज तब की जाती है जब फर्म द्वारा उपयोगी दस्तावेजों को जारी करने से इंकार करता है तब आयकर विभाग द्वारा आइटी खोज क आदेश दिए जाते हैं.

## आईटी अधिनियम 132

अधिनियम 132 पूर्णतः खोज व जब्ती पर आधारित है, इसमें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 की धारा (37) की उपधारा (1) के तहत कार्यवाही की जा सकती है। या आयकर अधिनियम की धारा 131 की उपधारा (1) के तहत समन भेजा जा सकता है। या आयकर अधिनियम की धारा 142 के तहत नोटिस भेजा जा सकता है। अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित आर्थिकी की प्राप्ति होने पर खोज प्रक्रिया की जा सकती है-

- संदेह युक्त खाते, रुपये, सोना, चांदी व गहने जैसी अन्य मूल्यवान वस्तुओं को जब्त किया जा सकता है।
- जब्त करने हेतु चाबी की अनुपलब्धता में ताला या दरवाजा तोड़ने की अनुमति अधिकारी को प्राप्त होती है।
- निरीक्षण के लिए उपनिदेशक, सहायक आयुक्त या निदेशक जैसे अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य़ है।
- दस्तावेजों व मूल्यवान वस्तुओं की सूची बना सकते हैं तथा उन पर निशान या मार्क लगाया जा सकता है।

Yojna IAS
सोच है तो सफलता है
yojnaias.com

**सर्वेक्षण व खोज के मध्य अंतर**

- खोज प्राधिकृत अधिकारी के अधिकार में निहित किसी भी क्षेत्र में की जाती है इसका क्षेत्र सीमित नहीं होता जबकि सर्वेक्षण पूर्व निर्धारित क्षेत्र में ही किया जा सकता है।
- खोज अधिनियम 132 द्वारा परिभाषित है जबकि सर्वेक्षण आयकर अधिनियम 133 में परिभाषित किया गया है।
- सर्वेक्षण केवल व्यावसायिक दिनों में काम के घण्टों के दौरान ही किया जाता है जबकि खोज सूर्योदय के बाद किसी भी समय प्रक्रिया पूर्ण होने तक की जाती है।
- सर्वेक्षण में खातों व सम्पत्ति के निरीक्षण व सत्यापन के लिए किया जाता है जबकि खोज पुलिस की मदद से सम्पूर्ण अघोषित सम्पत्ति को उजागर करने के लिए की जाती है।

इस प्रकार खोज, सर्वेक्षण से गंभीर कार्यवाही हो सकती है।

**गुंजन जोशी**

# भू विरासत स्थल और भू अवशेष

**संदर्भ-** हाल ही में खान मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भू विरासत स्थल और भू अवशेष (संरक्षण व रखरखाव) विधेयक के लिए सुझाव भेजने का अंतिम दिन था। विधेयक के उद्देश्य भूवैज्ञानिक अध्ययन, शिक्षा, अनुसंधान व जागरुकता उद्देश्यों के लिए भू विरासत स्थल और राष्ट्रीय महत्व के भू अवशेषों की घोषणा, संरक्षण और रखरखाव प्रदान करना है।

**भू विरासत स्थल और अवशेष**

भू-विरासत स्थल दुर्लभ और अद्वितीय भूवैज्ञानिक और भू-आकृति विज्ञान संबंधी महत्व के स्थल हैं, जिनमें गुफाओं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हित की प्राकृतिक रॉक-मूर्तियों सहित भू-आकृति विज्ञान, खनिज विज्ञान, पेट्रोलॉजिकल, पेलियोन्टोलॉजिकल और स्ट्रैटिग्राफिक हैं। भू-अवशेष कोई भी अवशेष या भूगर्भीय महत्व की सामग्री या तलछट, चट्टानें, खनिज, उल्कापिंड या जीवाश्म आदि हैं।

केरल का वर्कला क्लिफ खण्ड।

## भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI

- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), खान मंत्रालय के अधीन एक संलग्न कार्यालय, खनिज संसाधन मूल्यांकन, देश के लिए खनिज, ऊर्जा और जल संसाधनों की खोज और राष्ट्रीय भू-वैज्ञानिक के अद्यतन में लगी अंतरराष्ट्रीय ख्याति का एक भू-वैज्ञानिक संगठन है।
- खान मंत्रालय के तहत आने वाले GSI की स्थापना 1851 में क्षेत्रीय स्तर पर अन्वेषण के माध्यम से देश के कोयले और अन्य खनिज संसाधनों की जांच और आकलन करने के लिए की गई थी।
- GSI भारत में भू-विरासत स्थलों की पहचान, घोषणा और रखरखाव भी करता है। जीएसआई ने सुरक्षा और रखरखाव के लिए 32 भू विरासत स्थलों/राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारकों की घोषणा की है।
- भू-विरासत स्थलों की सुरक्षा, संरक्षण और रखरखाव के लिए देश में किसी भी कानून की अनुपस्थिति के कारण, न केवल क्षय के प्राकृतिक कारणों से बल्कि जनसंख्या के दबाव और बदलती सामाजिक और आर्थिक स्थितियों से भी विनाश का खतरा बढ़ गया है। जिसके लिए विधेयक प्रस्तावित किया गया है।

## भू विरासत स्थल और भू अवशेष विधेयक 2022

3 इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) ने एक संकल्प [2015] को अपनाया है जो प्राकृतिक विविधता और प्राकृतिक विरासत के अभिन्न अंग के रूप में भू-विविधता और भू-विरासत की पुष्टि करता है और इसलिए, भू-विविधता और भू-संरक्षण को जैव विविधता और प्रकृति से अविभाज्य माना जाना चाहिए।

### प्रस्तावित विधेयक की विशेषताएं

1. यह विधेयक भौगोलिक अध्ययन, शिक्षा, अनुसंधान और जागरूकता फैलाने के लिए भू-विरासत स्थलों और राष्ट्रीय महत्व के भू-अवशेषों की घोषणा, संरक्षण, संरक्षण और रखरखाव का प्रावधान करता है।
2. भू-विरासत स्थल को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के लिए केंद्र सरकार को प्राधिकृत करना। केंद्र सरकार दो महीने का नोटिस देगी और घोषणा से पहले आपत्तियों पर विचार करेगी।
3. केंद्र सरकार और जीएसआई को प्रत्येक भू-विरासत स्थल को संरक्षित और बनाए रखने के लिए कदम उठाने अनिवार्य हैं और उसी के लिए प्रवेश करने और निरीक्षण करने, सर्वेक्षण करने, माप और नमूने लेने, अन्वेषण संचालन करने, दस्तावेजों की जांच करने आदि के लिए अधिकृत किया गया है।
4. केंद्र सरकार प्रत्येक भू-विरासत स्थल के आसपास के क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र घोषित करने के लिए अधिकृत है और प्रत्येक साइट के लिए उनकी सीमा भिन्न हो सकती है। हालांकि, जब तक किसी विशिष्ट साइट के लिए इस तरह की सीमा घोषित नहीं की जाती है, तब तक 100 मीटर का क्षेत्र होगा। सीमा निर्धारित होने के बाद भू-विरासत स्थल के आसपास निषिद्ध क्षेत्र 200 मीटर होगा।

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com

5. निषिद्ध या विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत पुनर्निर्माण, मरम्मत या नवनिर्माण के लिए भआरतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षम संस्थान की मंजूरी लेनी आवश्यक है।
6. विधेयक विनाश, हटाने, विरूपण, भू विरासत स्थलों और भू अवशेषों के दुरुपयोग के लिए दंड प्रदान करता है; महानिदेशक, जीएसआई या उनके अधिकृत अधीनस्थ द्वारा जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन; विधेयक आदि के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए भू-विरासत स्थल, निषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र में निर्माण, पुनर्निर्माण आदि।

**चुनौतियाँ-**

- विशेषज्ञ युक्त समिति की कमी।
- महानिदेशक को विधेयक से संबंधित समस्त शक्तियों का आबंटन।
- भूमि अधिग्रहण की समस्या।

**गुंजन जोशी**

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com